प्राचार्य, राज्य होटल प्रबंध संस्थान, जोधपुर

<u>निविदा सूचना संख्या SIHM/JU/2018/445 दिनांक 17 मई, 2018</u>

संस्थान में शैक्षणिक सत्र 2018–19 हेतु निम्नलिखित कार्य हेतु पंजीकृत एवं अनुभवी फर्मो से निर्धारित प्रपत्र में मोहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है। संवेदक अपनी निविदा निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण कर व्यक्तिशः अथवा पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक 11.06.2018 को दोपहर 01 बजे तक जमा करा सकेंगे। निवदायें दिनांक 11.06.2018 दोपहर 3.00 बजे संस्थान में उपस्थित निविदादाता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। कार्य से संबंधित सभी शर्ते व विवरण निविदा प्रपत्र में दिये गये है। संस्थान की वेबसाईट www.ihmjodhpur.com से निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर अथवा संस्थान से कार्यालय समय में प्राप्त कर निर्धारित शुल्क के साथ संस्थान मे जमा करवाया जा सकता है। बिना शुल्क, अपूर्ण निविदा प्रपत्र एवं विलम्ब से प्राप्त निविदा प्रपत्र पर विचार नहीं किया जाएगाः–

क्र. सं.	कार्य का सक्षिप्त विवरण	वार्षिक व्यय की जाने वाली अनुमानित राशि (लाखों में)	प्रतिभूति राशि 5 प्रतिशत	अमानत राशि 2 प्रतिशत	निविदा प्रपत्र शुल्क
1	संस्थान के मुख्य भवन में सभी कक्षा कक्ष, सभी प्रयोगशालाऐं, कार्यालय, किचन, रेस्टोरेन्ट, स्टोर, बेकरी, लाईब्रेरी, सभी शौचालयों व संस्थान के चारों द्वारों के बाहर का ऐरिया, सडके, पार्किंग इत्यादि का सफाई कार्य, छात्रावास बालिका, छात्रावास पुरूष की सफाई एवं छात्रावास में स्थित शौचालयों की सफाई आदि का समस्त कार्य।	7,10,000/–	35,500/–	14,200/–	200/–
2	मैस कार्यो एवं संस्थान में विद्युत व प्लम्बिंग से सम्बन्धित कार्य, देखरेख एवं रखरखाव।	4,10,000/–	20,500/–	8,200/–	200/–
3	संस्थान परिसर के सभी बगीचों की देखरेख, साज–सजा, सफाई, कटाई, छटाई, नये पौधारोपण, नये बगीचों को विकसित करने, बगीचों की सिचाई आदि का समस्त कार्य।	1,40,000/–	7,000/–	2,800/–	200/–

किसी भी निविदा अथवा उसके किसी भाग को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा।

प्राचार्य

निविदा प्रपत्र संख्या..................

कार्यालय, प्राचार्य, राज्य होटल प्रबंध संस्थान, जोधपुर

राज्य होटल प्रबन्ध संस्थान, जोधपुर में सफाई कार्य एजेन्सी के माध्यम से कराए जाने हेतु निविदा प्रपत्र।

1. निविदादाता फर्म का नाम मय पता ....
   ....
   ....
   ....
   ....
   ....

2. निर्धारित रूप से भरे हुए निविदा प्रपत्र प्राचार्य, राज्य होटल प्रबन्ध संस्थान, जोधपुर के पते पर भेजें।

3. निविदा सूचना संदर्भ : निविदा सूचना संख्या SIHM/JU/2018/445 के द्वारा जारी की गई है में वर्णित समस्त शर्तों को जिनके सभी पृष्ठों पर मेरे/ हमारे हस्ताक्षर मय फर्म की मोहर है, मानने के लिए सहमत हैं।

4. अद्योहस्ताक्षरकर्ता निजी तौर पर एवं निविदादाता फर्म के अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते यह घोषणा करते हैं कि मैं/हमारी एजेन्सी श्रम विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा अधिकृत एवं मान्यता प्राप्त है।

5. मैं/हम घोषणा करते हैं कि निविदा प्रपत्र में दी गई दरें अनुबन्ध 01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2018 तक की अवधि के लिए वैद्य है।

6. मैं/हम निर्धारित अमानत राशि 14200/– का बैंक डिमान्ड ड्राफ्ट संख्या................. दिनांक ....**प्राचार्य, राज्य होटल प्रबन्ध संस्थान, जोधपुर** के पक्ष में निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर रहा हूँ/रहे हैं।

निविदादाता एजेन्सी के अधिकृत प्राधिकारी
के हस्ताक्षर मय फर्म की मोहर

कार्यालय, प्राचार्य, राज्य होटल प्रबंध संस्थान, जोधपुर

निविदा प्रपत्र

नोट : निविदा/निविदा प्रपत्र भरने से पहले इन शर्तों को भली–भॉती पढ़कर समझ लें, तत्पश्चात सहमति/स्वीकार स्वरूप निविदा प्रपत्र के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर एजेन्सी की मुहर लगावें

शर्ते :

1. राज्य होटल प्रबन्ध संस्थान, जोधपुर में सफाई कार्य एजेन्सी के माध्यम से कराने का कार्य क्षेत्र निविदा प्रपत्र के ''कार्य का विवरण'' में उल्लेखित है।

2. फर्म/एजेन्सी का जी.एस.टी.आईएन. पंजीयन अनिवार्य है।

3. सेवादाता फर्म/संस्था को पैन नम्बर की प्रति संलग्न करनी होगी।

4. फर्म किसी भी विभाग/संस्थान द्वारा ब्लेक लिस्टेड नहीं की गयी है, इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

5. निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण निविदा मुहरबन्द लिफाफे में प्राचार्य, राज्य होटल प्रबन्ध, जोधपुर के पते पर दिनांक 11.06.2018 को दोपहर 01:00 बजे तक व्यक्तिशः अथवा पंजीकृत डाक से भिजवाएं। निर्धारित समय उपरांत प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। लिफाफे के उपर ''सफाई कार्य हेतु निविदा'' अंकित करें ।

6. निविदा प्रपत्र में दी गई दरें किसी भी परिस्थिति में बदली नहीं जाएंगी। कटिंग/ओवर राईटिंग होने पर उस पर लघु हस्ताक्षर होना आवश्यक है।

7. निविदादाता को निविदा भरने से पूर्व प्राचार्य/विभागाध्यक्ष, राज्य होटल प्रबन्ध संस्थान, जोधपुर से कार्य की प्रकृति भली–भॉती समझ लेने की सलाह दी जाती है।

8. निविदादाता अनुबन्ध होने के उपरांत उसे उप–बेचान नहीं करेंगे। ऐसा करते पाए जाने पर एजेन्सी का अनुबन्ध समाप्त करते हुए धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी एवं यह कार्य किसी अन्य एजेन्सी से कराया जा सकेगा।

9. निविदादाता एजेन्सी द्वारा सफाई कार्य हेतु आने वाले कार्मिकों को यूनिफार्म मय जूते स्वयं के खर्चे पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यूनिफार्म का नमूना प्राचार्य, राज्य होटल प्रबन्ध संस्थान, जोधपुर से अनुमोदित कराना आवश्यक होगा। बगैर यूनिफार्म के किसी भी कार्मिक/श्रमिक को कार्य पर नहीं रखा जाएगा। प्रत्येक

कार्मिक को उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी युक्त परिचय पत्र भी स्वयं के व्यय पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा जो ड्यूटी पर कार्मिक/श्रमिक को पहनना होगा।

10. निविदादाता एजेन्सी सफाई कार्य हेतु उपलब्ध कराए गए कार्मिकों के संबंध में पूर्णरूपेण जिम्मेदार होगी तथा कार्मिकों से संबंधित समस्त रिकार्ड जैसे परिचय–पत्र, स्थाई/अस्थाई पता, पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन इत्यादि का संधारण अपने स्तर पर ही करेगी। इस क्रम में यह वांछनीय होगा कि एजेन्सी निर्धारित पुलिस प्रोफार्मा में कार्मिकों से संबंधी सभी सूचनाओं का इन्द्राज मय श्रमिकों के नवीनतम फोटो की जॉच करावें तथा दो गवाहों से सत्यापित करावें। इसके उपरांत पूर्ण संतुष्टि कर लेने के बाद ही कार्मिक को राज्य होटल प्रबन्ध संस्थान, जोधपुर में सफाई कार्य पर लगावें। यदि किसी कारण वश उपलब्ध कराई गई सूचना भ्रामक/गलत पाई जाती है तो एजेन्सी के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

11. सफल निविदादाता उपलब्ध कराए जाने वाले कार्मिकों से संबंधी समस्त प्रकार के दस्तावेज, पत्रावलियां एवं कार्य पर रखने से संबंधित पत्रों इत्यादी का संधारण अपने स्तर पर श्रम विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा निर्देशित नियमों के अंतर्गत करेगी जिसके लिए एजेन्सी पूर्णतया उत्तरदायी होगी। एजेन्सी के कार्मिक से संबंधित समस्त प्रकार की कार्मिक, विधिक एवं व्यक्तिगत जिम्मदारी फर्म/एजेन्सी की होगी तथा किसी भी प्रकार से राज्य होटल प्रबन्ध संस्थान, जोधपुर प्रबन्धन परोक्ष/अपरोक्ष रूप से इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

12. एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्मिक अस्थाई तौर पर प्रबन्धन के निर्देशानुसार कार्य करेंगे। संतोषजनक कार्य नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्य किसी अन्य एजेन्सी से निविदादाता एजेन्सी के हर्ज–खर्चे पर कराया जा सकेगा एवं उसका भुगतान एजेन्सी के मासिक बिल/धरोहर राशि से कटौती करके किया जाएगा तथा निविदा निरस्त कर दी जाएगी ।

13. किसी भी निविदा को अथवा निविदा के किसी भाग को बिना कारण बताए निरस्त/संशोधित करने का पूर्ण अधिकार समिति/प्राचार्य, राज्य होटल प्रबन्ध संस्थान, जोधपुर को रहेगा।

14. फर्म/एजेन्सी एवं उनके कार्मिक राज्य होटल प्रबन्ध संस्थान, जोधपुर परिसर के अंदर व अन्य समस्त कार्य स्थानों पर लगे हुए संस्थान के सामानों की सुरक्षा के प्रति सदैव सजग रहेंगे। एजेन्सी अपने समस्त कार्मिकों से समय–समय पर उनसे हुई हानी/टूट–फूट की जानकारी प्राप्त कर नियमानुसार प्रबन्धन को सूचित करते हुए उसकी भरपाई बाजार दरों पर करेगा अन्यथा प्राचार्य, राज्य होटल प्रबन्ध संस्थान, जोधपुर हुई ऐसे समस्त टूट–फूट के पेटे की राशि बाजार दरों पर सीधे ही एजेन्सी के मासिक बिल से वसूल कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त प्रबन्धन के

ध्यान में यदि कोई ऐसा तथ्य आता है कि कोई टूट–फूट/हानी/चोरी/गबन इत्यादि हुआ है जिसमें एजेन्सी के श्रमिक शामिल हैं तो राज्य होटल प्रबन्ध संस्थान, जोधपुर नियमानुसार पुलिस अथवा अन्य आवश्यक कार्यवाही करने को स्वतंत्र होंगे।

15. सफाई कार्य करने वाले व्यक्ति के नाखून एवं बाल बढे हुए नहीं होने चाहिये।

16. सफाई कार्य करने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संबंधित फर्म/एजेन्सी को कार्मिक उपलब्ध कराते समय राज्य होटल प्रबन्ध संस्थान, जोधपुर को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने होंगे, अन्यथा कार्मिक को कार्य पर नहीं लगाया जाएगा।

17. निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न चैक लिस्ट की पूर्ति करना अनिवार्य है।

<u>कार्य का विवरण</u>

18. राज्य होटल प्रबन्ध संस्थान, जोधपुर एक अतिविशिष्ट संस्थान है जहॉ होटल प्रबन्धन के विषय में विद्यार्थियों को शिक्षित किया जाता है एवं संस्थान एवं छात्र–छात्राऐं तथा कर्मचारी प्रवास करते हैं, अतः राज्य होटल प्रबन्ध संस्थान, की सेवाएं अत्यंत संवेदनशील व गरिमापूर्ण होती है। अतः निविदादाता फर्म/एजेन्सी को निविदा प्रपत्र भरने से पूर्व यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि उनके द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं उच्चतम स्तर की होगी। प्रतिदिन उपलब्ध कराई जाने वाली सफाई कार्य संबंधी सेवाओं की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यह भी महत्वपूर्ण है कि उपलब्ध कराए जाने वाले कार्मिक श्रेष्ठ व्यक्तिगत आचरण, सभ्य भाषा शैली व बर्ताव रखते हों व निर्धारित यूनिफार्म पहनकर पूर्ण अनुशासन के साथ कार्य करें, यह एजेन्सी को सुनिश्चित करना होगा।

19. सफल एजेन्सी को राज्य होटल प्रबन्ध संस्थान, जोधपुर में सफाई कार्य हेतु सम्पूर्ण चिन्हित कार्य क्षेत्र के लिए **न्यूनतम 11 श्रमिक** कार्य पर उपलब्ध कराना आवश्यक होगा, जिनको संस्थान द्वारा निर्धारित पारियों में कार्य पर उपस्थित रहना होगा। यदा–कदा वी.आई.पी. विजिट के दौरान प्राचार्य, राज्य होटल प्रबन्ध संस्थान, जोधपुर अपने विवेकानुसार उनके कार्य समय में परिवर्तन कर सकते हैं।

20. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रमिकों के भुगतान/अवकाश/अन्य शिकायत प्राप्त होने पर संस्थान को संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर भुगतान में से उचित कटौती की जा सकती है।

21. कोई भी सफाई कर्मी मादक द्रव्य/पदार्थ को सेवन नहीं करेगा, अभद्रता, अव्यवहार, किसी प्रकार की इनामी राशि की मांग अपराध की श्रेणी में आयेगा, तथा

शिकायत प्राप्त होने पर संबधित व्यक्ति को तुरन्त हटाना होगा। अन्यथा निविदादाता के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

22. सिवरेज लाईन के किसी प्रकार के अवरूद्ध होने पर उसकी सफाई की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

23. अनुबन्ध अवधि के दौरान सफाई कार्य के कारण एकत्रित होने वाले कचरे आदि को इकट्ठा करके संस्थान के बाहर स्थानीय प्रशासन द्वारा नियत स्थान पर डालने का दायित्व निविदादाता का होगा।

24. सफाई कार्य हेतु वांछित सामग्री जैसे फिनाईल, कपूर की गोलियां, झाड़ू, पोचा कपडा, डिटरजेन्ट वगैरह सफाई कार्य में काम आनी वाली सामग्री का प्रदाय संस्थान द्वारा किया जायेगा।

25. सफाई कार्य हेतु काम आने वाली सामग्री भण्डारण हेतु संस्थान की ओर से उपयुक्त स्थान निःशुल्क उपलब्ध करवाया जायेगा।

26. महिला छात्रावास में सफाई कार्य हेतु महिला श्रमिक लगाना अनिवार्य होगा जिसके लिये उक्त महिला श्रमिक को मातृत्व अवकाश वगैरह देने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

27. निविदादाता द्वारा कार्य सम्पन्न करने हेतु रखे गये श्रमिक वयस्क, स्वस्थ एवं किसी बीमारी से ग्रसित नहीं होने चाहिये।

28. संस्थान न्यूनतम दर को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है। गुणावगुण एवं अन्य आधार पर उच्च दर वाली निविदा को स्वीकार करने के लिये संस्थान पूर्ण स्वतंत्र होगी।

29. सफल एजेन्सी को अपने व्यय पर राज्य होटल प्रबन्ध संस्थान में उपस्थिति पंजिका का संधारण करना होगा जिसमें उपलब्ध कराए गए श्रमिक/कार्मिक का नाम/ड्यूटी समय इत्यादि का रिकार्ड रखा जाएगा। उक्त उपस्थिति पंजिका को प्रतिदिन कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जॉच पश्चात सत्यापित किया जाएगा।

30. संस्थान की कार्यशैली के मद्देनजर सफल निविदादाता कार्मिकों की निर्धारित **न्यूनतम 11 श्रमिक निरंतर उपलब्ध कराने को बाध्य होंगे।** उपरोक्त में से किसी भी श्रमिक के अवकाश अथवा अनुपस्थिति की परिस्थिति में निविदादाता को अन्य कार्मिक उपलब्ध कराना होगा, अन्यथा निविदादाता के कुल मासिक भुगतान बिल से जितने दिन कम कार्मिक आए हैं उसके पेटे उतने दिन की प्रतिदिन की दर से कटौती की जाएगी। बारंबार इस प्रकार की समस्या आने पर प्राचार्य, राज्य होटल प्रबन्ध संस्थान, जोधपुर अन्य वैकल्पिक स्रोतों से श्रमिकों की व्यवस्था करने को

स्वतंत्र होंगे जिसका समस्त भुगतान निविदादाता एजेन्सी के भुगतान अथवा धरोहर राशि से काटा जाएगा।

31. निविदादाता को **निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न दर सूची** में उपलब्ध कराये जाने वाले न्यूनतम श्रमिकों की वार्षिक दर प्रस्तुत करनी होगी, जिसे 12 भागों में बांट कर मासिक भुगतान किया जायेगा।

अनुबन्ध :

32. सफल निविदादाता को निर्धारित प्रपत्र में एक अनुबन्ध भरना होगा, जिसमें उल्लेखित निविदा की शर्तों के अनुसार कुल आर्डर वैल्यू की 5 प्रतिशत राशि बतौर धरोहर राशि इस कार्यालय में जमा करानी होगी। उक्त राशि कार्य समाप्ति तक बतौर धरोहर राशि इस कार्यालय में जमा रहेगी। यह राशि कार्य संपूर्ण, संतोषजनक एवं निविदा शर्तों के अनुरूप संपन्न होने पर लौटाई जाएगी। निविदा के साथ पूर्व में जमा कराई गई 2 प्रतिशत अमानत राशि को धरोहर राशि में समायोजित कराते हुए शेष अन्तर राशि जमा करानी होगी। उक्त राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। उक्त अनुबन्ध रू 500 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनिवार्य रूप से निविदा स्वीकार किए जाने के दिनांक से 7 दिवस के अंदर करना होगा उसके उपरांत ही कार्य आदेश जारी किया जाएगा। अनुबन्ध में निविदा प्रपत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन किए जाने का उल्लेख किया जाएगा व निविदादाता को बाध्यकारी होगा तथा इस संबंध में समस्त व्यय इत्यादि निविदादाता को ही वहन करना होगा एवं उसकी एक प्रति इस कार्यालय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी।

33. सिक्योरिटी डिपोजिट बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक से जमा कराई जा सकती है ।

34. यदि निविदादाता निविदा खुलने के बाद एवं अनुमोदन से पूर्व अपनी दरों में परिवर्तन करें या निविदा वापिस लेता है तो धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

35. निम्नलिखित परिस्थितियों में धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाएगा –
    1. यदि निविदादाता कार्य बाबत अनुबन्ध निर्धारित समय सीमा में नहीं करें।
    2. यदि निविदादाता के विरूद्व ऐसे साक्ष्य पाए जाते हैं जो राज्य सरकार/निविदा में उल्लेखित शर्तों के विपरीत हो।
    3. यदि निविदादाता निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य समय पर नहीं करें एवं दी गई चेतावनियों के उपरान्त भी कार्य में सुधार नहीं करें।

भुगतान

36. सफल निविदादाता को भुगतान के लिए निम्न सूचनाएं उपलब्ध करानी होगी –
   1. बैंक का नाम
   2. बैंक के शाखा का नाम व कोड नं.
   3. खाता संख्या
   4. खाता का प्रकार
   5. IFSC/RTGS/NEFT कोड नं.
   6. पैन कार्ड नं.
   7. मोबाईल नं.

37. राज्य होटल प्रबन्ध संस्थान, जोधपुर के चिन्हित कार्य क्षेत्र की सफाई कार्य में **दर सूची** का भुगतान मासिक आधार पर माह की समाप्ति के उपरांत ही किया जाएगा। इसके लिए निविदादाता प्रिन्टेड बिल प्रस्तुत करेंगे, उक्त बिल की जॉच के उपरांत उपलब्ध कराए गए कुल कार्मिकों की सत्यापित मासिक उपस्थिति चार्ट की सत्यापित छाया प्रति संलग्न कर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा जिसकी आवश्यक जॉच के पश्चात भुगतान की कार्यवाई की जाएगी। अंतिम किश्त का भुगतान तभी होगा जब कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किसी भी प्रकार की हानि/टूट–फूट/चोरी की रिर्पोर्ट नहीं होने का प्रमाणीकरण किया हुआ होगा तथा इस कार्यालय को सफल निविदादाता से किसी भी प्रकार की लेनदारी–देनदारी नहीं होगी।

38. निविदादाता द्वारा उपरोक्त सेवाओं पर उपलब्ध कराए गए कार्मिक/श्रमिक आदि का वेतन/मजदूरी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन मजदूरी की परिधि में किया जाना अनिवार्य होगा। प्राचार्य, राज्य होटल प्रबन्ध संस्थान, जोधपुर द्वारा प्राप्त सेवाओं के प्रतिफल एवं निविदा शर्तों के आधार पर सफल निविदादाता को नियमानुसार टी.डी.एस. की कटौती के पश्चात भुगतान किया जायेगा। इस कार्यालय द्वारा एजेन्सी के किसी भी कार्मिक/श्रमिक को सीधा भुगतान नहीं किया जाएगा। कार्यरत समस्त कार्मिक/श्रमिक को मजदूरी भुगतान एवं अन्य दुर्घटना सम्बन्धित पूर्ण जिम्मेदारी एजेन्सी की ही होगी तथा इसके लिए परोक्ष/अपरोक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं होंगे।

39. फर्म/निविदादाता के पास टेलीफोन/मोबाईल फोन की सुविधा होनी आवश्यक है तथा इस कार्यालय द्वारा सम्पर्क करने पर शीघ्र फोन अटेण्ड किया जाना अपेक्षित है।

40. कार्य अवधि कार्यादेश जारी होने से एक वर्ष तक निर्धारित की गयी है लेकिन विभागीय आदेशों के क्रम में अथवा आगे स्वीकृति प्राप्त नहीं होने की दशा में एक माह का नोटिस देते हुए अनुबंध निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य, राज्य होटल प्रबन्ध संस्थान, जोधपुर को होगा।

41. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित निविदादाता का होगा।

42. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत नियमानुसार पंजीकृत निविदादाता ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ संबंधित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।

43. निविदादाता फर्म द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित निविदादाता फर्म द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातें में जमा कराई गई राशि का विवरण संबंधित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही निविदादाता फर्म को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

44. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित निविदादाता फर्म का होगा।

45. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये निविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा निविदादाता फर्म को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अंतर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

46. निविदादाता फर्म को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों को नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और निविदादाता फर्म का अंशदान शामिल होगा। निविदादाता फर्म द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ और ई.एस.आई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

47. राज्य में लागू श्रम नियमों के अंतर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी. एफ एवं ई.एस.आई की राशि जमा कराने का दायित्व निविदादाता फर्म का होगा।

48. निविदादाता फर्म द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी निविदादाता फर्म की ही होगी। निविदादाता फर्म द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल

के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म का होगा।

49. श्रम विधि के अंतर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व निविदादाता फर्म का ही होगा। श्रम विधि के अंतर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये निविदादाता फर्म स्वंय उत्तरदायी होगा।

50. यदि निविदादाता फर्म एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबंधकीय जिम्मेदारी निविदादाता फर्म की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्ष्म प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

51. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म का होगा।

52. कार्य संपादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई करवाने/ सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व निविदादाता फर्म का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

53. यदि निविदादाता फर्म द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और, नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में निविदादाता फर्म को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।

मैं/हमारे द्वारा उपरोक्त सभी शर्तों को एवं संलग्न शिड्यूल में उल्लेखित सफाई कार्य के निर्देशों को अच्छी तरह पढ़ एवं समझ लिया है तथा उक्त को स्वीकार्य स्वरूप/हमारे द्वारा निविदा प्रपत्र के सभी पृष्ठों पर अपनी सहमति के हस्ताक्षर किए हैं।

निविदादाता एजेन्सी के अधिकृत प्राधिकारी
के हस्ताक्षर मय फर्म की मोहर

दर प्रपत्र

कार्यालय, प्राचार्य, राज्य होटल प्रबंध संस्थान, जोधपुर

निविदा सूचना संख्या ..../2018

रेट–शिड्यूल

1 राज्य होटल प्रबन्ध संस्थान हेतु सफाई कार्य निविदा पर एजेंसी के माध्यम से कराये जाने हेतु रेट शिड्यूल।

2 निविदा/निविदा प्रस्तुत करने वाली निविदादाता का नाम व डाक का पता

––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––

टेलीफोन/मोबाईल न0–––––––––––––––

ईमेल आईडी––––––––––––––––––––––

3 निविदादाता के माध्यम से सेवाओं के उपापन के लिये निविदा में दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेगी–

क्र. सं	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	ईपीएफ दर प्रतिशत	ईएसआई दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. अकुशल 2. अर्द्व कुशल 3. कुशल 4. उच्च कुशल						

(उपर्युक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 1–4, 6 व 7 की पूर्तियां संबंधित उपापन संस्था द्वारा की जाकर बोली दस्तावेज में ही उपलब्ध कराई जायेंगी तथा शेष स्तम्भ संख्या 5, 8, एवं 9 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां की जा सकेगी।)

निविदादाता एजेन्सी के अधिकृत प्राधिकारी
के हस्ताक्षर मय फर्म की मोहर

''चैक लिस्ट''

कृपया निम्न प्रमाण पत्रो/दस्तावेजो की प्रति निविदा के साथ संलग्न करें :–

क्र. सं	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
5.	आय कर (पैन नम्बर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरषिप एक्ट 1932 के अंतर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अंतर्गत				
7.	अर्नेस्ट मनी की डी०डी०/बैकर्स चैक।				
8.	किसी भी संस्था में न्यूनतम दो वर्षो तक कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र।				
9.	किसी भी विभाग में ब्लैक लिस्टेड़ नही होने का स्वयं का शपथ पत्र।				

दिनांक :

निविदादाता एजेन्सी के अधिकृत प्राधिकारी
के हस्ताक्षर मय फर्म की मोहर